

प्रेषक,

पन्ना लाल,  
उप सचिव।  
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक उद्योग,  
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उ0प्र0  
कानपुर।

सूक्ष्म, लघु मध्यम उद्यम अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक 10अक्टूबर,2018

विषय-वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-3 के अंतर्गत "एक जनपद एक उत्पाद" योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उ0प्र0 कानपुर के पत्र संख्या-100/एम0एस0एम0ई0/(ओ0डी0ओ0पी0)/2018-19, दिनांक 16-7-2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "एक जनपद एक उत्पाद" योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 25000.00 लाख (रू0 दो अरब पचास करोड़) के सापेक्ष शासनादेश संख्या-771/18-4-2018-2(विविध)/18टी0सी0, दिनांक 07-8-2018 द्वारा प्रदेश स्तरीय ओ0डी0ओ0पी0 समिट-2018 के आयोजन हेतु रू0 1039.50 लाख (रू0 दस करोड़ उनतालिस लाख पचास हजार) मात्र की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। अतः अवशेष धनराशि रू0 239.6050 करोड़ के सापेक्ष रू0 6160.00 लाख (रू0 इकसठ करोड़ साठ लाख) मात्र की धनराशि निम्नलिखित कार्यों/ क्रिया-कलापों हेतु उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0 स0	किया-कलाप का विवरण	स्वीकृत की जा रही धनराशि (रू0 लाख में)	कार्य/उद्देश्य
1.	योजना का प्रचार-प्रसार	500.00	इलेक्ट्रानिक एवं प्रिन्ट मीडिया(विज्ञापन के अतिरिक्त) होर्डिंग, रूफटॉप, यूनीपोल, फ्लैक्स, कियास्क, वॉल राईटिंग, विनायल तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों, सेमिनार, वर्कशाप सिम्पोजियम आदि के माध्यम से प्रचार-प्रसार कराये जाने हेतु।
2.	डायग्नोस्टिक स्टडी (75	750.00	कन्सलटेन्ट के चयन हेतु ई-निविदा के माध्यम से समिति द्वारा अर्ह पाये गये/चयनित प्रस्तावकों को वित्तीय भाव पत्र के अनुसार

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अतः, स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

	जनपदों हेतु)		निम्नानुसार भुगतान किये जाने हेतु आवश्यक- -On completion of stakeholder consultation 30% -On submission of draft report 30% -On acceptance of final report by District Level Committee (DLC) 20% - On final acceptance by ODOP Cell 20%
3.	प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट का चयन	200.00	जनपद स्तरों पर क्लस्टरों एवं उत्पादों का बेसलाईन सर्वे एवं इको सिस्टम की डायग्नोस्टिक स्टडी के प्राप्त निष्कर्षों, जिला स्तरीय समिति की संस्तुतियों के आधार पर डीपीआर तैयार कराये जाने हेतु, विश्लेषित निष्कर्षों के अनुरूप क्रियान्वित करने एवं उसके अनुश्रवण को सुव्यवस्थित ढंग से विशेषज्ञता के साथ करने हेतु "प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट कन्सल्टेन्ट" की आवश्यकता है।
4.	ओडीओपी सेल का क्रियान्वयन - कार्यालय व्यय	230.00	-ओडीओपी प्रकोष्ठ के क्रियान्वयन हेतु आउट-सोर्सिंग के आधार पर आवश्यक मानव संसाधन की व्यवस्था, कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण, यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय, विद्युत व्यय, टेलीफोन, लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई, कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर की व्यवस्था, कम्प्यूटर अनुरक्षण एवं तत्सम्बन्धी स्टेशनरी, व्यवसायिक एवं विशेष 5.सेवाओं तथा अनुरक्षण आदि से सम्बन्धित व्ययों को वहन किये जाने हेतु ₹0 100.00 लाख की आवश्यकता। -योजना के अनुश्रवण, समीक्षा एवं मूल्यांकन, जनपद, मण्डल तथा राज्य स्तर पर बैठकों के आयोजन हेतु कंटीजेंसी मद में ₹0 75.00 लाख जिलों में, ₹0 30.00 लाख मुख्यालय व ₹0 25.00 लाख मण्डल स्तर पर - कुल ₹0 130.00 लाख की आवश्यकता।
5.	कौशल उन्नयन (प्रशिक्षण योजना) टूलकिट	1600.00 2500.00	तकनीकी प्रशिक्षण, क्राफ्ट की बेसिक एवं एडवांस ट्रेनिंग एवं उद्यमिता विकास प्रशिक्षण हेतु 30प्र0 कौशल विकास मिशन, उद्यमिता विकास संस्थान एवं 30प्र0 इंस्टीट्यूट आफ डिजाइन के प्रचलित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आवश्यकतानुसार नये सिरे से डिजाइन किया जाना। प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु व्ययों को केन्द्र/ राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के अन्तर्गत डबटेलिंग के माध्यम से अथवा ओडीओपी योजनान्तर्गत वहन किया जायेगा।
6.	अवधशिल्प ग्राम में ओडीओपी प्रदर्शनी का संचालन (निरन्तर 15	60.00 120.00	ओडीओपी प्रदर्शनी के संचालन हेतु शाप्स का आवंटन, दुकानों का विद्युत व्यय, शाप्स हेतु आवश्यक कारपेटिंग, स्टैण्डी टेबुल, चेयर आदि सुविधायें उपलब्ध कराना, विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन, अवध शिल्पग्राम का रख-रखाव, साफ सफाई, दुकानों का किराया, कलाकारों, साज-सज्जा, म्यूजिक सिस्टम के किराये आदि पर व्यय। स्थल आरक्षण, आक्टोनम, मैटिंग व अन्य साज-सज्जा प्रबन्धन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है; अतः, स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

	दिन के रोस्टर पर) कुम्भ 2019 में प्रतिभाग एक माह एक बार		प्रचार-प्रसार, आवश्यक कन्टेन्जेन्सीज आदि।
7.	वेब पोर्टल बनाना एवं ओडीओपी ई-मार्केट पोर्टल	200.00	ओडीओपी योजनान्तर्गत योजनाओं की जानकारी, उत्पादकों की जिज्ञासाओं का समाधान, परामर्श, उत्पादन-तकनीक, प्रशिक्षण तथा मार्केटिंग से सम्बन्धित समस्त जानकारियां उपलब्ध कराना (हेल्प लाईन), उत्पादों की ई-मार्केटिंग की सुविधा प्रदान करने तथा अनुरक्षण उद्देश्य को पूरा करने पर होने वाले व्यय का वहन।
	योग-	6160.00	

(रु० इकसठ करोड़ साठ लाख) मात्र।

- 2- उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत कार्यों पर ही किया जायेगा। उक्त धनराशि का अन्य मद में व्यावर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य न होगा। आंकड़ों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- 3- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण करने के पूर्व यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत योजना/कार्य हेतु किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।
4. प्रश्नगत योजना/कार्य के विभिन्न मदों पर स्वीकृत की जा रही धनराशि व्यय करने के पूर्व संगत प्रक्रियाओं यथा टेण्डर आदि का नियमानुसार पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।
5. योजनान्तर्गत विभिन्न मदों पर व्यय की फेजिंग की जायेगी तथा तदनुसार वास्तविक आवश्यकता के अनुसार ही धनराशि का आहरण किया जायेगा। एकमुश्त धनराशि का आहरण नहीं किया जायेगा।
- 6- योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि को पी०एल०ए०/बैंक खाता आदि में जमा नहीं किया जायेगा। तथा शासकीय व्यय में मितव्ययिता सम्बंधी वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा।
- 7- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष होने वाले व्यय का नियंत्रण, वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 6 जून,1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।
- 8- व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य मानको (स्टैंडर्ड्स ऑफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 9- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय के सम्बंध वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018-बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30-03-2018 में दी गयी व्यवस्थानुसार "एक जनपद एक उत्पाद" की व्यवस्थाओं के क्रियान्वयन हेतु उक्त धनराशि व्यय किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है:अतः,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

10- स्वीकृत धनराशि का मदवार मासिक व्यय विवरण शासन के विशेष सचिव वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6 एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग 30प्र0 शासन को प्रपत्र बी-एम-13 में पूर्णतया भरकर उपलब्ध कराया जायेगा ।

11- स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-1 एवं 2 30प्र0 इलाहाबाद तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग 30प्र0 शासन को धनराशि व्यय किये जाने के एक माह के भीतर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।

12- उपर्युक्त कार्यों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-3 के अधीन लेखाशीर्षक-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-102-लघु उद्योग-28-"एक जनपद एक उत्पाद" योजना-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

13- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या-ई-6-741/दस-2018, दिनांक 25.9.2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(पन्ना लाल)

उप सचिव।

संख्या-1028/(1)/18-4-2018, तद्विनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय 30प्र0 इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय 30प्र0 इलाहाबाद।
- 3-महालेखाकार (लेखा-परीक्षा-।)सी0ए0एस0एस0-3/टी0डी0ए0 कोआर्डिनेशन, 30प्र0 इलाहाबाद।
- 4- अपर आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, ओ0डी0ओ0पी0 प्रकोष्ठ, 30प्र0 लखनऊ।
- 5- सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, कानपुर/लखनऊ।
- 6-निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ ।
- 7-वित्त नियंत्रक, 30प्र0 उद्योग निदेशालय, कानपुर।
- 8-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-3
- 9-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(पन्ना लाल)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया हैइ:अत:स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।